# न्यायालय तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

**मुकदमा नम्बर 90/2021 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956**

अनुवानः—राज्य सरकार बनाम **शिवशंकर**

## निर्णय

दिनांकः—12.07.2022

आज यह पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **श्रीडूंगरगढ़** ने अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट.1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की, कि गैर सायल **शिवशंकर पुत्र स्व. कन्हैयालाल** जाति **मोदी** निवासी **श्रीडूंगरगढ़** द्वारा ग्राम **श्रीडूंगरगढ़** के **खसरा नम्बर 986** तादादी **3.45** हैक्टेयर किस्म भूमि **बारानी** भूमि में से **2.9656** हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2078 में **नाजायज हैरा चलाकर** अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। तथा जवाब हेतु समय चाहा गैर सायल को जवाब हेतु बार बार समय देने के बावजूद गैर सायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उक्त भूमि पर गैर सायल का स्वामित्व साबित होता हो, जबकि भू.अ.नि. व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। अप्रार्थी द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने व भू.अ.नि. व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अप्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः अप्रार्थी **शिवशंकर पुत्र स्व. कन्हैयालाल** जाति **मोदी** निवासी **श्रीडूंगरगढ़** द्वारा ग्राम **श्रीडूंगरगढ़** के आराजी ख.नं. **986** तादादी **3.45** हैक्टेयर किस्म भूमि **बारानी** भूमि में से **2.9656** है. भूमि का सम्वत 2078 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान **1.00** का 50 गुणा से **148.00** रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू—अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफतर हो।

न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ
जिला बीकानेर